UPET010053752022

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट एटा।
उपस्थितः अशोक कुमार XIII एच0जे0एस0ः J0 CODE UP2392

<u>अन्तिम आख्या संख्याः 824/2022</u>

दिनेश ....बनाम.. रामजीलाल आदि
थाना पिलुआ ,जिला एटा।
अ0सं0 271/2021

<u>19.05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित है। दिनांक 19.12.2022 से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। उसकी ओर से कोई प्रोटेस्ट दाखिल नहीं किया गया है। वादी को प्रोटेस्ट दाखिल करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। वादी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं है।

विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है कि बयान वादी व बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल सी.डी.आर. आदि तमाम विवेचना से वादी श्री दिनेशकुमार को घटना दिनांक 07.11.2021 को घटनास्थल ग्राम धारिकपुर आना नहीं दर्शाया गया तथा अभियोग में दर्शायी गयी वसीयत के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। नामित अभियुक्तगण के विरुद्व कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अतः विवेचना साक्ष्य के अभाव में द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–04/2022 दिनांक 15. 02.2022 को समाप्त की जाती है।

चूँकि विवेचक द्वारा साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या–04/2022 दिनांक 15.02.2022 समाप्त की गयी है। वादी की ओर से अन्तिम आख्या के विरुद्ध कोई प्रोटेस्ट दाखिल नहीं किया गया है। वादी को अन्तिम अवसर दिया जा चुका है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अपराध संख्या 271/2021 धारा–420,468,323,504,506 भा0दं0सं0 3(2)5ए एस.सी.एस.टी. एक्ट थाना पिलुआ में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या–04/2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अशोक कुमार XIII)
विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.(पी.ए.) एक्ट
एटा

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2025.05.19 13:05:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court